12.8.21 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2.9.21 को पेश हो।

2.9.21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ अप्रार्थी को जिसे शा० प० किया गया। अप्रार्थी को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। न्यायहित मे वकील प्रार्थी को सुना जाकर तहसीलदार मौका को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की जावे। वास्ते पत्रावली मे देखने मौका रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 30.9.21 को पेश होवे

30.9.21 [illegible] उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 10.11.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

10.11.21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प [illegible] पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार [illegible] से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस सुननी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 11.11.21 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी ने पुनः बहस करनी चाही। न्यायहित मे बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी भूमि के आराजी नं० 4526 रकबा 0.3035 हैक्टेयर भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं० 01 की आराजी नं० 4525 रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि की पश्चिमी मेड पर स्थित आराजी सं० 4011 गै०मु० नाली के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी की आराजी नं० 4526 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है, एंव वर्तमान मे रास्ता बना हुआ नही है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम मांडल पटवार हल्का मांडल तहसील मांडल [illegible] जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आ[illegible] रकबा 0.3035 हैक्टेयर भूमि पर [illegible]ने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है. एंव वर्तमान मे कोई रास्ता बना हुआ नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अज अदालत —— मुकाम —— बनाम —— नं. —— सन् ——

किस्म मुकदमा ——

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की आराजी नं. 4425 रकबा 0.2276 हैक्टेयर मे से 14 फीट चौड़ाई का रास्ता पश्चिमी मेड़ पर स्थित आराजी नं. 4099 गै.मू.नाली के सहारे-सहारे दिया जाता है। 14 फीट-चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 01 को भुगतान करे। अप्रार्थी की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मा0डल को लिखा जावे। तहसीलदार मा0डल निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

माण्डल जिला भीलवाड़ा